

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 मई 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 641वीं बैठक दिनांक 03/05/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **प्रकरण क्रमांक 9022/2022 - श्रीमती मंजू सिंह, पुष्पराम कॉलोनी, आंध्रा बैक के सामने, गली नं. 1, पोस्ट एवं जिला सतना (म.प्र.) लाईम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन माईन, खसरा नं. 832पी, 835पी, 841पी, 1196, 1197, 1198, 1199 रकबा 08.094 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन - 3,00,000 टीपीए, ग्राम लटागांव, तहसील मैहर जिला सतना (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आन लाईन प्राप्त यह प्रकरण लाईम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन उत्खनन का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 832पी, 835पी, 841पी, 1196, 1197, 1198, 1199 रकबा 8.094 हेक्टेयर, ग्राम लटागांव, तहसील मैहर जिला सतना (म.प्र.) पर स्थित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 556वीं दिनांक 02/03/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 03/05/22 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मंजू सिंह के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अनिल कुमार कुशवाहा और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री संजय सिंह, मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्यूशन, नोएडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लान में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खनन पट्टा क्षेत्र के दक्षिण-पूर्व से उत्तर एक कच्ची सड़क जा रही है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस क्षेत्र में परियोजना प्रस्तावक की तीन अन्य खदानें थीं और सड़क स्वयं की है जो उत्तर दिशा में स्थित दूसरी खदान में खत्म हो जाती

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 मई 2023

है । यह कोई सर्वजनिक रास्ता नहीं है । वर्तमान में खदान बंद है इस कारण कच्चा रोड इसी खदान में खत्म हो रही है। पूर्वी क्षेत्र में 66 मीटर पर पक्का रोड स्थित है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि, दक्षिण पूर्व में स्थित पक्की सड़क से ५० मी तक खनन कार्य नियम के अधीन नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे सघन वृक्षारोपण प्रस्तावित है । कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 08 .पेड़ लगे हैं जिसमें से कोई भी पेड़ काटा नहीं जायेगा ।

परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तुतीकरण में लाईम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन का वर्षवार प्रस्तावित खनन प्रस्तुत किया ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-14 के सरल क्रमांक-40 पर दर्ज है । इस खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पंचायत विकास में सहयोग एवं रोड़ का निर्माण इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में समुचित बजट के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन- 3,00,000 टन प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 17.05 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 05.35 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 02.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

S. No	Activities	Budget (Rs.)
1	Sustainable Livelihood	
	Provide employment to the 50 local villagers (including direct & indirect form). The payment to the workers will be done as per the Minimum Wages Act into the bank accounts preferably.	
2	Charnoi Land Development	
	Development of 5 ha Charnoi Land of village Latagaon as per directions of Panchayat	10000.00
3	Infrastructure Development	

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2023

	Maintenance of boundary wall of primary school of Latagaon and maintenance of village road.	90000.00
4	Health	
	Donation to PHC Latagaon under the scheme of Rogi Kalyan Samiti	50000.00
5	Computer with printer will be provided in school of Latagaon	50000.00
Total		2,00,000.00

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 9925 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

Plant Species for Mine Area, Transportation Road And Village Distribution			
Phase	Location	Name of Tree/shrub/ Herbs	No. of Plants
1 st Year	In barrier Zone in Pvt. Land	Awala, Guava, Mango, Jamun, Kathhal, Nimboo, Amrod, Munga	800
	In barrier Zone in Govt. Land	Neem, Jungle Jalebi, Siris Kala, Karanj, Chirol, Khamer, Sissoo, and other local species	800
1 st Year	Road Set back Area (Private Land)	Awala, Jamun, Kathhal, Nimboo, Guava, Munga	600
1st year	Along transport route (1 meter height plant with tree guard)	Neem, Peepal, Siris Kala, Karanj, Chirol, Khamer, Sissoo, and other local species	200
5th to CP	Back filled Area	Siris Kala, Karanj, Chirol, Khamer, Sissoo, and other local species	3400
Within 1st year	Plantation through forest department on Sharda Devi	Bel, Neem, Kusum, Mahua, Jamun, Kachnar, Achar, Amaltas, Pipal and other local species	3000

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2023

	Temple		
Within 1 st - 2 nd year	Distribution of sapling to local villagers	Guava, Mango, Kathal, Nimbu, Munga and local species	1000
Within 1 st year	To develop Greenbelt around Panchayat and school building in village Latagaon	Mango, Jamun, Neem, Mahua, Sisso and other local species	125
N.B. – Causality Replacement of trees will be done within 2 years maintenance of plants will be done till lease period.			9925

2. प्रकरण क्रमांक 9047/2022 – मेसर्स श्री मां नर्मदा एग्रोटेक एवं इन्फ्रस्टाचर लि., ग्राम धुरेरी तहसील देपालपुर जिला इंदौर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 1/1/1, 1/1/1/2, 1/1/1/3, 1/2/1, 1/2/2 रकबा 01.90 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन- 14,700 मी.³ ग्राम धुरेरी तहसील देपालपुर जिला इंदौर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आन लाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 1/1/1, 1/1/1/2, 1/1/1/3, 1/2/1, 1/2/2 रकबा 1.90 हेक्टेयर, ग्राम धुरेरी तहसील देपालपुर जिला इंदौर (म.प्र.) पर स्थित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 556वीं दिनांक 02/03/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण आज सेक की 641वीं बैठक दिनांक 03/05/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

3. Case No 9865/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Lidhaura Sand Quarry in an area of 12.00 ha. (40734 cum per annum) (Khasra No. 324), Village-Lidhaura, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 324), Village-Lidhaura, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) 12.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 03/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 12283 दिनांक 16/12/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है एवं इनका क्षेत्रफल 5.00 हे. से अधिक होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह रेत सिंध नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज (Dec. 2021) अनुसार खदान सिंध नदी पर है नदी लीज एरिया सम्पूर्ण रूप से जलमग्न है। चूंकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है।

परियोजना प्रस्तावक ने नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान के विवरण में पेज नं.-09 के सरल क्रमांक-01 पर माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत)-40,734 घनमीटर उल्लेखित है तथा टॉर 40,734 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाहा गया है जो माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत) के बराबर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने सुझाव दिया कि जिन किसानों/ग्रामीणों के घर नदी के समीप है उनको पौधा वितरण में प्राथमिकता दी जाये ताकि वे नदी के किनारे पर वृक्षारोपण कर सकें जिससे किनारे के कटाव को रोका जा सके तथा इसी के अनुरूप वृक्षारोपण योजना में प्रस्ताव ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के पूर्व एवं पश्चिम तट का भूमि उपयोग (लैंड यूज स्टेटस) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 मई 2023

2. परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए रिपोर्ट में पौधा रोपण की निश्चित स्कीम प्रस्तुत करे जिसमें पौधा रोपण वन विभाग से कराया जायेगा या ग्रामपंचायत के माध्यम से करायगे जिसमें पौधा रोपण करने के स्थान (लोकेशन) के साथ-साथ पौधों की सुरक्षा का प्रस्ताव भी शामिल हो ।
4. माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान सिंध नदी लीज एरिया सम्पूर्ण रूप से जलमग्न है। परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन् क्षेत्र में खनन् हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है।
5. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. खदान ग्राम सभा ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति।शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी एक्वेटिक फ्लोरल एण्ड फोनल स्टण्डी कर उसकी रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये ।
9. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाईन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाईन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन् के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन् क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
12. रेत परिवहन मार्ग को गूगल नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
13. आवंटित खनन् क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
14. आवंटित खनन् क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें ।

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2023

15. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
16. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एग्रोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
17. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

4. Case No 9866/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Basai Sand Quarry in an area of 17.456 ha. (88,200 cum per annum) (Khasra No. 821), Village-Basai, Tehsil-Bhitarwar, District-Gwalior (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 821), Village-Basai, Tehsil-Bhitarwar, District-Gwalior (MP) 17.456 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 03/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 12292 दिनांक 12/10/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है एवं इनका क्षेत्रफल 5.00 हे. से अधिक होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह रेत सिंध नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान खदान एरिया आंशिक रूप से जलमग्न है। प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान के विवरण में पेज नं.-09 के सरल क्रमांक-04 पर है। माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-88,200 घनमीटर उल्लेखित है तथा टॉर 88,200 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाहा गया है जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) के बराबर है । प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदानों के सभी को-आर्डिनेट नहीं दिये गये हैं, जिस कारण खसरा अनुसार खदान नदी में खदान की स्थिति दर्शानेवाली आकृति नहीं बन रही है, जबकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 मई 2023

संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने सुझाव दिया कि जिन किसानों/ग्रामीणों के घर नदी के समीप है उनको पौधा वितरण में प्राथमिकता दी जाये ताकि वे नदी के किनारे पर वृक्षारोपण कर सकें जिससे किनारे के कटाव को रोका जा सके तथा इसी के अनुरूप वृक्षारोपण योजना में प्रस्ताव ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये। इसी प्रकार समिति ने सुझाव दिया कि भिंड जिले की अधिकतर खदानों के आस-पास रिवाइंस दृष्टिगत है अतः इन रिवाइंस के स्थरीकरण हेतु संबंधित जिलों के वनमंडलाधिकारी/भू-संरक्षण अधिकारी से सुझाव प्राप्त कर योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. खदान क्षेत्र में एक चैनल कास हो रही है अतः परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करे की खनन के दौरान/एवेक्वेशन के दौरान चैनल कास न हो अतएव इस योजना को ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. नदी के पूर्व एवं पश्चिम तट का भूमि उपयोग (लैंड यूज स्टेटस) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए रिपोर्ट में पौधा रोपण की निश्चित स्कीम प्रस्तुत करे जिसमें पौधा रोपण वन विभाग से कराया जायेगा या ग्रामपंचायत के माध्यम से करायगे जिसमें पौधा रोपण करने के स्थान (लोकेशन) के साथ-साथ पौधों की सुरक्षा का प्रस्ताव भी शामिल हो।
5. माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान सिंध नदी लीज एरिया आंशिक रूप से से जलमग्न है। परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है।
6. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. खदान ग्राम सभा ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2023

8. नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी एक्वेटिक फ्लोरल एण्ड फोनल स्टण्डी कर उसकी रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये ।
10. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
13. रेत परिवहन मार्ग को गूगल नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
14. आवंटित खनन क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
15. आवंटित खनन क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें ।
16. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
17. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एग्रोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
18. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

5. Case No 9867/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Belgadha Sand Quarry in an area of 12.00 ha. (72000 cum per annum) (Khasra No. 684, 686), Village-Belgadha, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 684, 686), Village-Belgadha, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) 12.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 मई 2023

आज दिनांक 03/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 12297 दिनांक 16/12/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है एवं इनका क्षेत्रफल 5.00 हे. से अधिक होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह रेत सिंध नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान एरिया लगभग जलमग्न है। प्रकरण क्र. 9868/2023 के कोर्डिनेट्स इस प्रकरण के के.एम.एल. आंशिक रूप से इस प्रकरण की के.एम.एल.मे ओवरलेप हो रहे हैं। अतः समिति ने प्रस्तुतीकरण पश्चात् ने अनुशंसा कि की सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी से सत्यापन कराकर ई.आई. ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।

प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान के विवरण में पेज नं.-10 के सरल क्रमांक-10 पर है। माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-72,400 घनमीटर उल्लेखित है तथा टॉर 72,000 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाहा गया है जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) से कम है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के पूर्व एवं पश्चिम तट में वन क्षेत्र आच्छादित है अतः इनका भूमि उपयोग (लैंड यूज स्टेटस) राजस्व के अधीन है अथवा वन विभाग के ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2023

3. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए रिपोर्ट में पौधा रोपण की निश्चित स्कीम प्रस्तुत करे जिसमें पौधा रोपण वन विभाग से कराया जायेगा या ग्रामपंचायत के माध्यम से करायगे जिसमें पौधा रोपण करने के स्थान (लोकेशन) के साथ-साथ पौधों की सुरक्षा का प्रस्ताव भी शामिल हो ।
4. गूगल इमेज अनुसार खदान एरिया लगभग जलमग्न है। प्रकरण क्र0. 9868/2023 के कोर्डिनेट्स इस प्रकरण के के.एम.एल. आंशिक रूप से इस प्रकरण की के.एम.एल.मे ओव्हरलेप हो रहे है। सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी से सत्यापन कराकर ई. आई. ए. रिपोर्ट मे प्रस्तुत करें।
5. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. खदान ग्राम सभा ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति।शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी एक्वेटिक फ्लोरल एण्ड फोनल स्टण्डी कर उसकी रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये ।
9. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन् के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन् क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
12. रेत परिवहन मार्ग को गूगल नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
13. आवंटित खनन् क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
14. आवंटित खनन् क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें।

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2023

15. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
16. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एगोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
17. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
18. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।

6. Case No 9868/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Gajapur Sand Quarry in an area of 21.940 ha. (1,31,640 cum per annum) (Khasra No. 718), Village-Gajapur, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 718), Village-Gajapur, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) 21.940 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 03/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 12290 दिनांक 16/12/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है एवं इनका क्षेत्रफल 5.00 हे. से अधिक होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह रेत सिंध नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान एरिया लगभग जलमग्न है। प्रकरण क्र0. 9867/2023 के कोर्डिनेट्स इस प्रकरण के के.एम.एल. आंशिक रूप से इस प्रकरण की के.एम.एल.मे ओवरलेप हो रहे हैं। अतः समिति ने प्रस्तुतीकरण पश्चात् ने अनुशंसा कि की सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 मई 2023

को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी से सत्यापन कराकर ई. आई. ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।

प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान के विवरण में पेज नं.-09 के सरल क्रमांक-02 पर है। माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-1,31,976 घनमीटर उल्लेखित है तथा टॉर 1,31,976 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाहा गया है जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) के बराबर है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के पूर्व एवं पश्चिम तट में वन क्षेत्र अंचादित है अतः इनका भूमि उपयोग (लैंड यूज स्टेटस) राजस्व के अधीन है अथवा वन विभाग के ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए रिपोर्ट में पौधा रोपण की निश्चित स्कीम प्रस्तुत करे जिसमें पौधा रोपण वन विभाग से कराया जायेगा या ग्रामपंचायत के माध्यम से करायेंगे जिसमें पौधा रोपण करने के स्थान (लोकेशन) के साथ-साथ पौधों की सुरक्षा का प्रस्ताव भी शामिल हो।
4. गूगल इमेज अनुसार खदान एरिया लगभग जलमग्न है। प्रकरण क्र0. 9867/2023 के कोर्डिनेट्स इस प्रकरण के के.एम.एल. आंशिक रूप से इस प्रकरण की के.एम.एल.में ओव्हरलेप हो रहे हैं। सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी से सत्यापन कराकर ई. आई. ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
5. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
6. खदान ग्राम सभा ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति। शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी एक्वेटिक फ्लोरल एण्ड फोनल स्टण्डी कर उसकी रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
8. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये।

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2023

9. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन् के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन् क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
12. रेत परिवहन मार्ग को गूगल नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
13. आवंटित खनन् क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
14. आवंटित खनन् क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें ।
15. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
16. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एग्रोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
17. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
18. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।

7. Case No 9869/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Gadhota/Kupeda Sand Quarry in an area of 17.456 ha. (71,982 cum per annum) (Khasra No. 158), Village-Gadhota/Kupeda, Tehsil-Bhitarwar, District-Gwalior (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 158), Village-Gadhota/Kupeda, Tehsil-Bhitarwar, District-Gwalior (MP) 17.456 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 मई 2023

आज दिनांक 03/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 12294 दिनांक 16/12/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है एवं इनका क्षेत्रफल 5.00 हे. से अधिक होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह रेत पर्वती नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान एरिया आंशिक रूप से जलमग्न है एवं खदान के पूर्वी ओर से एक अन्य नदी आकर मिल रही है एवं इस नदी पर 100 मी. की दूरी पर एक पक्का रोड ब्रिज निर्मित है। अतः सेण्ड माइनिंग गाईडलाइन 2016, 2020 के अनुसार नॉन माइनिंग एरिया छोड़ते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करें। प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है।

परियोजना प्रस्तावक ने नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान के विवरण में पेज नं.-09 के सरल क्रमांक-05 पर है। माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-71,982 घनमीटर उल्लेखित है तथा टॉर 71,982 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाहा गया है जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) के बराबर है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्वी ओर से एक अन्य नदी का प्रभाव रुक गया है अतः रुकने का अध्ययन एवं धारा को स्वतंत्र करने हेतु क्या उपाय किये जा सकते हैं ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें
2. नदी के पूर्व एवं पश्चिम तट का भूमि उपयोग (लैंड यूज स्टेटस) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 मई 2023

4. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए रिपोर्ट में पौधा रोपण की निश्चित स्कीम प्रस्तुत करे जिसमें पौधा रोपण वन विभाग से कराया जायेगा या ग्रामपंचायत के माध्यम से करायगे जिसमें पौधा रोपण करने के स्थान (लोकेशन) के साथ-साथ पौधों की सुरक्षा का प्रस्ताव भी शामिल हो ।
5. गूगल इमेज अनुसार खदान एरिया आंशिक रूप से जलमग्न है एवं खदान के पूर्वी ओर से एक अन्य नदी आकर मिल रही है एवं इस नदी पर 100 मी. की दूरी पर एक पक्का रोड ब्रिज निर्मित है। अतः सेण्ड माइनिंग गाइडलाइन 2016, 2020 के अनुसार नॉन माइनिंग एरिया छोड़ते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करें। प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है।
6. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. खदान ग्राम सभा ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति। शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी एक्वेटिक फ्लोरल एण्ड फोनल स्टण्डी कर उसकी रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये ।
10. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माइनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
13. रेत परिवहन मार्ग को गूगल नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
14. आवंटित खनन क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
15. आवंटित खनन क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें।

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2023

16. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
17. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एगोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
18. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
19. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।

8. Case No 9870/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Babupur Sand Quarry in an area of 18.770 ha. (53,460 cum per annum) (Khasra No. 855), Village-Babupur, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 855), Village-Babupur, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) 18.770 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 03/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 12291 दिनांक 16/12/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है एवं इनका क्षेत्रफल 5.00 हे. से अधिक होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

यह रेत सिंध नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान सिंध नदी पर है नदी लीज एरिया सम्पूर्ण रूप से जलमग्न है। चूंकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान के विवरण में पेज नं.-09 के सरल क्रमांक-03 पर है। माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-53,460 घनमीटर उल्लेखित है तथा टॉर 53,460 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाहा गया है जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 मई 2023

के बराबर है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के पूर्व तट में वन क्षेत्र से आच्छादित है अतः इनका भूमि उपयोग (लैंड यूज स्टेटस) राजस्व के अधीन है अथवा वन विभाग के ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए रिपोर्ट में पौधा रोपण की निश्चित स्कीम प्रस्तुत करे जिसमें पौधा रोपण वन विभाग से कराया जायेगा या ग्रामपंचायत के माध्यम से करायेंगे जिसमें पौधा रोपण करने के स्थान (लोकेशन) के साथ-साथ पौधों की सुरक्षा का प्रस्ताव भी शामिल हो ।
4. माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान सिंध नदी लीज एरिया सम्पूर्ण रूप से जलमग्न है। परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है।
5. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. खदान ग्राम सभा ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति।शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी एक्वेटिक फ्लोरल एण्ड फोनल स्टण्डी कर उसकी रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये ।
9. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मैप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2023

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मैप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
12. रेत परिवहन मार्ग को गूगल नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
13. आवंटित खनन क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
14. आवंटित खनन क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें।
15. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
16. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एग्रोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
17. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

9. Case No 9871/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Raipur Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (51,000 cum per annum) (Khasra No. 244), Village-Raipur, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 244), Village-Raipur, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) 5.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 03/05/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 12010 दिनांक 24/11/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है एवं इनका क्षेत्रफल 05.00 हे. होने के कारण यह प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को-आर्डिनेट में अंश भाग में त्रुटि संज्ञान में आने पर खनिज अधिकारी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 791 दिनांक 02/05/2023 द्वारा संशोधित जी.पी.एस. को-आर्डिनेट प्रस्तुत किया गया है, जो प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न है।

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 मई 2023

यह रेत सिंध नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान खदान एरिया आंशिक रूप से जलमग्न है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही माइनिंग की जायेगी। परियोजना प्रस्तावक ने नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान के विवरण में पेज नं.-10 के सरल क्रमांक-09 पर है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-51357 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 51,000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। यदि वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव किया जावेगा एवं तत्संबंध में राशि ग्राम पंचायत को दी जायेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. आवेदन पत्र अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 51,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.72 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.64 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय। विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 6.37 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 मई 2023

भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव हेतु रु. 6.375 लाख रुपए एवं 10 परसेंट मैनेटाइनेन्स के 68,750 /वर्ष के साथ) पंचायत को राशि उपलब्ध करायेगे । पौधारोपण का कार्य निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति - खास, नागरमोथा, लेमन ग्रास, अवेग के स्लीपस, गटायन के बीज एवं स्थानिए घास (500) 4-5 पंक्ति - कटंग बाँस, (300) 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा, कहवा, जंगल जलेबी, खमेर, कुसुम, अर्जुन एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानिय प्रजातियाँ (200)	1000
2.	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलौ, अमरुद, मुनगा, पपीता, निम्बू आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	4250
3.	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊंचाई 1 मीटर)	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	750
कुल			6000

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 03.90 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम रायपुर के नजदीक स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में पानी की टंकी और नलकूप का निर्माण करा जाएगा	3,90,150/-

10. Case No 9872/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Semari Sand Quarry

in an area of 4.50 ha. (40,500 cum per annum) (Khasra No. 621), Village-Semari, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 621), Village-Semari, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) 4.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 03/05/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 12062 दिनांक 24/11/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है एवं इनका क्षेत्रफल 05.00 हे. से कम होने के कारण यह प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।

यह रेत सिंध नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान खदान एरिया आंशिक रूप से जलमग्न है। परियोजना प्रस्तावक ने नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान के विवरण में पेज नं.-10 के सरल क्रमांक-09 पर है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल-40680 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 40,500 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। यदि वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव किया जावेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 मई 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 40,500 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.95 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.54 लाख प्रति वर्ष ।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय। विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 5.80 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।
7. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव हेतु रु. 5.80 लाख एवं 10 परसेंट रखरखाव के लिए रु. 62,500/वर्ष के साथ) पंचायत को राशि उपलब्ध करायेगे । पौधारोपण का कार्य निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति – खास, नागरमोथा, लेमन ग्रास, अवेग के स्लीपस, गटायन के बीज एवं स्थानिए घास (400) 4-5 पंक्ति – कटंग बाँस, (300) 6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा, कहवा, जंगल जलेबी, खमेर, कुसुम, अर्जुन एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानिय प्रजातियाँ (200)	900
2.	ग्रामवासियों में वितरण	सीताफल, आवलॉ, अमरुद, मुनगा, पपीता, निम्बू आम एवं अन्य	3800

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2023

	हेतु	स्थानीय प्रजातियां	
3.	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊंचाई 1 मीटर)	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	700
कुल			5400

5. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 03.09 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम सेमरी स्थित माध्यमिक विद्यालय में निम्नानुसार कार्य किये जावेंगे :- 1). 50 टेबल – चेयर का सेट दिया जाएगा। 2). मरम्मत कार्य तथा सौन्दर्यीकरण	3,09,825

11. Case No 9882/2023 M/s Euphoria Mines & Minerals, Partner, Shri Himanshu Meena, R/o 9 A, Paramount Villa, Ansals, Shyamla Hills, District-Bhopal (MP)-462013 Prior Environment Clearance for Amarchhi Sand Quarry on Ranj River in an area of 4.75 ha. (41310 Cum per annum) (Khasra No. 01), Village-Amarchhi, Tehsil-Ajaigarh, District-Panna (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 01), Village-Amarchhi, Tehsil-Ajaigarh, District-Panna (MP) 4.75 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 03/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिमांशु मीणा के अधिकृत प्रतिनिधि और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, (ऑन लाईन) मेसर्स एसीरिज इन्वायरोटके इंडिया प्रा0. लि0. लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1786 दिनांक 21/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 5.0 हे. से कम होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

यह खदान रुज नदी में स्थित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान एरिया आंशिक रूप से जलमग्न है एवं खदान क्षेत्र को एक वॉटर चैनल क्रास कर रही है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि चैनल क्रास एरिया को नॉन माईनिंग एरिया के रूप 1.95 हे. छोड़ते हुए सरफेस मेप दिखाया गया है एवं खनन योग्य क्षेत्र 2.80 हे. उपलब्ध होगा जो उत्पादन क्षमता 41,310 घनमीटर हेतु उपयुक्त होगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 मई 2023

बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान के विवरण में पेज नं.-26 के सरल क्रमांक-17 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-41,310 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 41,310 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे, जिससे विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। यदि वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव किया जावेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 41,310 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 16.28 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 04.81 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय। विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 06.97 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 मई 2023

भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयंम वृक्षों की प्रजातियों चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे । परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव हेतु रु. 69,750/वर्ष के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपसए गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, जंगल जलेबी, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	1500
2.	ग्राम- अमरछी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3900
3.	सरकारी माध्यमिक विद्यालय अमरछी में वितरण हेतु	कदम्ब, अमलतास, पुत्ररंजीवा, मौलश्री, अशोक, नीम, सीताफल, गुलमोहर इत्यादि ।	50
4.	परिवहन मार्ग (250 मीटर)	नीम, पीपल, चिरोल ,जंगल जलेबीए आँवला, अन्य छायादार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	250
कुल			5700

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 07.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम अमरछी के शासकीय प्राथमिक शाला में 1 कंप्यूटर, 1 प्रिंटर, 1 टेबल एवं 1 कुर्सी उपलब्ध करवाया जायेगा ।	70,000 /-

12. Case No 9832/2023 Smt. Neetu Sharma, 36, Gopalkunj, Ramdwara ke Piche, Khachrod, District-Ujjain (MP)-456224, Prior Environment Clearance for Buranabad Stone Mine in an area of 1.00 ha. (2964 Cum per annum) (Khasra No. 583) Village-Buranabad, Tehsil-Khachrod, District-Ujjain (MP).

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 583) Village-Buranabad, Tehsil-Khachrod, District-Ujjain (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 03/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री नीतू शर्मा (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंडिया प्रा०.लि०. लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5053 दिनांक 22/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 06.65 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गirth फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। उत्तर दिशा में 75 मी. की दूरी पर एक रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन ने पत्र क्रमांक 734 दिनांक 21/03/2023 के द्वारा सूचित किया है कि जिला डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट वर्ष 2022-23 में तैयार की गई है जबकि उक्त उत्खनिपट्टा की सैद्धांतिक जिला डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट तैयार होने के पश्चात् स्वीकृत की गई है। उक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) हो जाने उपरांत नवीन डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। उक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) हो जाने उपरांत नवीन डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी। चूंकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नहीं है अतः अनुमोदित खनन योजना में दिये गये अक्षांश-देशांश के आधार पर प्रकरण का एप्राइजल किया गया। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 मई 2023

स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

- 1- आवंटित खनन क्षेत्र के उत्तर दिशा में 75 मी. की दूरी पर एक रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 3- Conceptual Plan में चारागाह विकास का प्रस्ताव ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाये ।
4. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 1862 दिनांक 31/10/2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि जिला डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट वर्ष 2022-23 में बनी है, जिसमें गाम बठिया शामिल है । उपरोक्त उत्खनिपट्टा में सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) हो जाने उपरांत नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में स्वीकृत उत्खनिपट्टा को शामिल किया जावेगा अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये ।

13. Case No 9833/2023 Shri Sachin Patni, M/s. S & S Stone Crusher, Bada Bazar, Unhel, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP) Prior Environment Clearance for Akyanajik Stone & M-Sand Mine in an area of 7.620 ha. (M-Sand-230000, Stone-9400 Cum per annum) (Khasra No. 43, 44) Village-Akyanajik, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP)

This is case of Stone & M-Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 43, 44) Village-Akyanajik, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP) 7.620 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 03/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सचिन पाटनी (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इन्वायरोटके इंडिया प्रा0. लि0. लखनऊ, उ.प्र.

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 मई 2023

उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र दिनांक 28/03/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 33.62 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गirth फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। दक्षिण दिशा में 51 मी. पर एवं पूर्वी दिशा में 425 मी. पर एक पक्का रोड़ है तथा पूर्वी दिशा में 390 मी. पर एक मकान/शेड स्थित है। अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन ने पत्र दिनांक 28/03/2023 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त जिले की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट वर्ष 2022-23 में बनी है, तत्पश्चात् उत्खनिपट्टा की सैद्धांतिक प्रदान की गई है। नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये। **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है।** उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. आवंटित खनन क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 51 मी. पर एवं पूर्वी दिशा में 425 मी. पर एक पक्का रोड़ है तथा पूर्वी दिशा में 390 मी. पर एक मकान/शेड स्थित है। अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये।
2. आवंटित खनन क्षेत्र पहाड़ पर कई पेड़ लगे हैं। अतः परियोजना प्रस्तावक खनन क्षेत्र में स्थित पेड़ों की इन्वेन्ट्री मय ड्रोन फोटोग्राफी/व्हीडियो ग्राफी तथा ईकोलॉजीकल सर्वेसिस एवं ईकोलॉजीकल लॉस असेसमेंट का अध्ययन कर रिपोर्ट ईआईए के साथ प्रस्तुत करे।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2023

5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
7. ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

14. Case No 9834/2023 Shri Manish Asati, Project Director, National Highways Authority Of India Indore, 15 Sampat Hills, Opp. Sahara City, Indore Bypass, Indore (MP)-452016, Prior Environment Clearance for Construction of Multi Model Logistics Park Mine in an area of 103.26 ha. at Khasra No. Village-Kheda, Jamodi & Akolia, Tehsil-Pithampur, District-Dhar, (MP)

This is case of Prior Environment Clearance for Construction of Multi Model Logistics Park Mine in an area of 103.26 ha. at Khasra No. Village-Kheda, Jamodi & Akolia, Tehsil-Pithampur, District-Dhar, (MP) .Cat. - 8(b) Township and Area Development Projects.

प्रकरण आज सेक की 641वीं बैठक दिनांक 03/05/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

15. Case No 9835/2023 Smt. Amita Gupta R/o 43/1, Sardar Patel Marg, Civil Line, District-Allahabad (UP)-211001, Prior Environment Clearance for Ansara Silica Sand Deposit Mine in an area of 8.393 ha. (38001 TPA) (Khasra No. 80/7, 453/2KA) Village-Ansara, Tehsil-Jawa, District-Rewa (MP)

This is case of Silica Sand Deposit Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 80/7, 453/2KA) Village-Ansara, Tehsil-Jawa, District-Rewa (MP) 8.393 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 03/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती अमीता गुप्ता (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 04 दिनांक 02/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है जिनका कुल रकबा 8.393 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 मई 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी एवं शासकीय भूमि पर आवंटित है प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण silica sand के खनन का होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। जिसमे खदान के अंदर से पूर्व-पश्चिम दिशा में एक पक्का रोड़ निकल रहा है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रोड़ के दोनो ओर का 100 मीटर का सेड बेक छोड़ते हुये नॉन माईनिंग के रूप में रहेगा परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-61 के सरल क्रमांक-2 पर दर्ज है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टैंडर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. खदान के अंदर से पूर्व-पश्चिम दिशा में एक पक्का रोड़ है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रोड़ के दोनो ओर का 100 मीटर का सेड बेक छोड़ते हुये नॉन माईनिंग के रूप में रहेगा अतएव संरक्षण हेतु फेसिंग एवं नॉन माईनिंग क्षेत्र में पौधा रोपण का प्रस्ताव शामिल करते हुए ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये।
2. जिसमे खदान के अंदर से पूर्व-पश्चिम दिशा में एक पक्का रोड़ निकल रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक सेड बेक छोड़ते हुये एवं इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

16. Case No - 9836/2023 Smt. Kaushilya Singh, Lessee, Village-Phulwari, Post-Pondi Naugai, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP)-486886, Prior Environment Clearance for Phulwari Stone Quarry in an area of 1.870 ha. (35625 Cum per annum) (Khasra No. 291, 293/1, 293/3, 294) Village-Phulwari, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP).

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 291, 293/1, 293/3, 294) Village-Phulwari, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP) 1.870 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 03/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती कौशल्या सिंह (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) का पत्र क्रमांक 557 दिनांक

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 मई 2023

14/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 6.73 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय एवं निजी भूमि पर आवंटित है प्रश्नाधीन खदान पठार पर स्थित है एवं खदान क्षेत्र में से उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व एवं दक्षिण-पश्चिम भाग से कच्चा रोड़ निकल रहा है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र में से जो कच्चा रोड़ जा रहा है वह निजी रास्ता है, आम रास्ता नहीं है, वास्तविक रास्ता खदान से 35 मीटर की दूरी से निकल रहा है। समिति ने इस संबंध में संबंधित ग्राम पंचायत से सहमति पत्र ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। कार्यालय कलेक्टर, प्रभारी अधिकारी (खनि शाखा) जिला- सिंगरौली के पत्र क्र०. 557 दिनांक 14/02/2023 द्वारा अवगत कराया कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पूर्व यह उत्खनि पट्टा स्वीकृत नहीं था। तदनुसार यह वर्तमान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं है। आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इसे सम्मिलित कर लिया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई. आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. खदान क्षेत्र में से जो कच्चा रोड़ जा रहा है वह निजी रास्ता है, आम रास्ता नहीं है, वास्तविक रास्ता खदान से 35 मीटर की दूरी से निकल रहा है। इस संबंध में संबंधित ग्राम पंचायत से सहमति पत्र ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2023

5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
7. ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

17. Case No 9837/2023 Smt. Kaushilya Singh, Lessee, Village-Phulwari, Post-Pondi Naugai, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP)-486886 Prior Environment Clearance for Phulwari Stone Quarry in an area of 1.650 ha. (39960 Cum per annum) (Khasra No. 262/1, 262/2, 263/1, 263/2, 266/1) Village-Phulwari, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (M.P.).

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 262/1, 262/2, 263/1, 263/2, 266/1) Village-Phulwari, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP) 1.650 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 03/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती कौशल्या सिंह (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए। उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) का पत्र क्रमांक 560 दिनांक 14/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 14.57 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि गूगल एमेज के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तावित खदान के आस पास अन्य खदानों द्वारा पूर्व पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का पालन परिलक्षित नहीं हो रहा है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गirth फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रश्नाधीन खदान में उत्तरी ओर से 10 मी. दूरी पर हॉलेज रोड निकल रहा है दक्षिण-पूर्वी दिशा में 110 मीटर पर एक कच्चा रोड़ है एवं कुछ कच्चे मकान दक्षिण-पूर्वी में 83 मी. पर, पश्चिम दिशा में 82 मी. की दूरी पर है एवं उत्तर-पश्चिम दिशा में 88 मी. की दूरी पर है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन कार्य रॉक ब्रेकर से किया जायेगा एवं ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है, इस हेतु शपथ पत्र प्रस्तुतीकरण में दिया गया है । इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मेरे द्वारा उत्खनन कार्य रॉक ब्रेकर से किया जायेगा और ब्लास्टिंग

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2023

नहीं की जावेगी, इस बावत् शपथ—पत्र ऑनलाईन अपलोड किया गया गया और प्रस्तुतीकरण में संलग्न है ।

कार्यालय कलेक्टर, प्रभारी अधिकारी (खनि शाखा) जिला— सिंगरौली के पत्र क्र०. 560 दिनांक 14/02/2023 द्वारा अवगत कराया कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पूर्व यह उत्खनि पट्टा स्वीकृत नहीं था । तदनुसार यह **वर्तमान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं है। आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इसे सम्मिलित कर लिया जावेगा।** समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :—

- 1- आवंटित खनन क्षेत्र के दक्षिण—पूर्वी दिशा में 110 मीटर पर एक कच्चा रोड़ है एवं कुछ कच्चे मकान दक्षिण—पूर्वी में 83 मी. पर, पश्चिम दिशा में 82 मी. की दूरी पर है एवं उत्तर—पश्चिम दिशा में 88 मी. की दूरी पर है। अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
7. ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

18. Case No 9252/2022 M/s Vrindavan Construction, Partner, Shri Arun Agrawal S/o Late Shri R.P.Agrawal, 250, Sagar Plaza, Zone-II, M.P. Nagar, Dist. Bhopal, MP. Environment Clearance for Proposed at Proposed “Sage Golden Spring”

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2023

Residential Apartment located at Khasra No. - (10/1, 12, 13, 14, 15), (10/2/1, 12, 13, 14, 15), 11/1, (16/1, 18, 21), (16/2, 18, 21) 17/1/1, 17/1/2, 17/2/2, 17/3/1, 17/3/2, 28/1/1, 28/1/2, 28/2/1, 28/2/2, 29/1/1, (A) 29/1/1 (B) 29/1/2/1, 29/1/2/2, 84/1/1, (84/2/1, 85, 86/1), 84/2/2, 86/2, Village – Damkheda, Patwari Halka No. 21, Tehsil – Huzur & District – Bhopal (M.P.). Total Plot Area – 47170.00 Sq.mtr. (4.717 ha.), Built Up Area - 98714.54 square meter ha., Cat. - 8(a). Building and Construction projects. Env. Con. -Global Management and Engineering Consultants International, Jaipur, (Rajasthan).

This is case of Environment Clearance for Construction of "M/s Vrindavan Construction is developing "Sage Golden Spring" Residential Apartment Located at Village: Damkheda, Patwari Halka No. 21, Tehsil – Huzur & District – Bhopal, Madhya Pradesh on a land admeasuring 47,170 Square meter (4.717 Ha).

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 583rd SEAC dated 30/06/2022 wherein ToR was recommended. In the 603rd SEAC meeting dated 04-11-22 EC was recommended.

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 603वीं बैठक दिनांक 04/11/2022 को अनुशंसा कर राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित किया गया था जिसे राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा बैठक क्र. 758 वीं बैठक में रखा गया। समिति ने प्रकरण पर चर्चा की एवं पाया कि सिया ने निम्न बिंदुओं पर परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरणीय सलाहकार से स्पष्टीकरण/संशोधन चाहा गया है :-

- रेमेडियल प्लान कार्यवाही विवरण में "Cut – Paste" प्रक्रिया के कारण अनेक विसंगतियां पाई गई, जिससे प्रकरण का निराकरण करने में प्राधिकरण को असुविधा महसूस हो रही है।
- Environment Policy मद 9/P-6 पर भी दी गई टिप्पणी भी स्वीकार योग्य नहीं है। इस पर व्यय भी निरंक बताया गया है। मद-11 Source of Water में Construction Phase में निर्माण एवं संचालन चरण में व्यय भी निरंक दिखाया है जबकि इन मदों पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा निश्चित ही व्यय करना अनिवार्य है।
- 4ए में Environmental Management Plan कॉलम में "Land is in possession of Signature Builders & Colonizers under joint registered joint venture. All land records are enclosed with our EC Application" उल्लेखित है। यह त्रुटि भी कट पेस्ट के कारण परिलक्षित हुई है। सलाहकार द्वारा इतने गंभीर विषय पर भी लापरवाही चिंतनीय है। EIA त्रुटिपूर्ण है, जिसमें सलाहकार द्वारा गंभीर त्रुटियां की हैं।
- SEAC की 603वीं बैठक में प्रकरण क्र. 9166/2022 का Remedial Plan मद 12 में भी 100 KLD का STP रु. 40,00,000/- का दिखाया है, वही इस विचाराधीन प्रकरण में 500 KLD का STP के लिए भी रु. 40,00,000/- ही दर्शाया गया है।
- उपरोक्त सभी त्रुटियां गंभीर प्रकृति की हैं जो कि पर्यावरण उल्लंघन की स्थिति में "मानक संचालन प्रक्रिया" की मार्गदर्शिका की गंभीर अनदेखी है।

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 मई 2023

- उपरोक्त सभी त्रुटियां गंभीर प्रकृति की हैं इन्हीं कार्यों की प्राक्कलित राशि से बैंक गारन्टी की राशि का निर्धारण किया जाता है जिसके आधार पर पर्यावरण उल्लंघन कर्ता प्रस्तावित कार्य करने को बंधनकारी होता है इस प्रकार सलाहकार की यह त्रुटी पर्यावरण उल्लंघन की स्थिति में “मानक संचालन प्रक्रिया” की मार्गदर्शिका की गंभीर अनदेखी है।
- Form 1 में Activity 1.1, 1.3 में भी इंदौर मास्टर प्लान का जिक्र दिखाया है जो कि सलाहकार की गंभीर त्रुटि है।
- प्रकरण में यह भी पाया गया है कि सलाहकार द्वारा EIA में ToR के पेज नं. 11के (d) की वांछित जानकारी भी नहीं दी गई है।
- सलाहकार द्वारा प्रतिशत में बताई गई भौतिक प्रगति स्वीकार्य योग्य नहीं है। सलाहकार/परियोजना प्रस्तावक को किये गये कार्यों का विवरण एवं माप पूर्ण रूप से दिया जाना चाहिये जिससे परियोजना पर आवेदन दिनांक तक किये गये व्यय लागत का अनुमान लगाया जा सके।
- परियोजना प्रस्तावक की परियोजना अवधि से आवेदन दिनांक तक आयकर रिटर्न्स, बैलेंस शीट एवं परियोजना पर किये गए व्यय की जानकारी मांगी जावे। योजना पर किये गये व्यय का चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र भी माँगा जावे परियोजना प्रस्तावक द्वारा भी किये गए व्यय का शपथपत्र भी लिया जावे।
- साथ ही इस परियोजना हेतु किसी वित्तीय संस्थान से ऋण लिया गया हो तो SEIAA में आवेदन दिनांक तक बैंक द्वारा दिनांकवार उपलब्ध कराई गई राशि की सत्यापित जानकारी प्रस्तुत करे।

अतः सिया से प्राप्त निर्देशानुसार उपरोक्त सभी जानकारीयों परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरणीय सलाहकार से प्राप्त करने बावत् ADS के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाये तथा प्रकरण की पुरानी EIA remediation एवं Damage असेसमेंट प्लान को निरस्त मानते हुए नवीन EIA remediation एवं Damage असेसमेंट प्लान परियोजना प्रस्तुत करें। पर्यावरण सलाहकार भी उपरोक्तानुसार प्रकरण में की गई गंभीर त्रुटियों के लिए क्यों न कार्यवाही की जावे तथा प्रकरण नेबिट के ध्यान में लाया जाये के संदर्भ में अपना पक्ष/स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करें।

Vide letter dated 31.01.2023 PP Shri Arun Agrawal (Partner) M/s. Vrindavan Construction submitted the query reply on line on PARIVESH Portal which were asked in the in the SEAC 613th meeting dated 22.12.2022. Hence, this case is scheduled in this agenda. PP replied in their ADS .

In the SEAC meeting 627th dated 03.03.2023 the query reply was presented wherein PP expressed apologies for the errors made in the submitted documents and stated that it will not be repeated in future. During discussion and presentation, PP submitted that they have revised the proposal and remediation plan with EIA.

The committee observed that PP has submitted information which is lacking PP's commitment and other details as per SEIAA's instruction “परियोजना प्रस्तावक की परियोजना अवधि से आवेदन दिनांक तक आयकर रिटर्न्स, बैलेंस शीट एवं परियोजना पर किये गए व्यय की जानकारी मांगी जावे। योजना पर किये गये व्यय का चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र भी माँगा जावे परियोजना प्रस्तावक द्वारा भी किये गए व्यय का शपथपत्र भी लिया जावे”. The documents submitted by PP reveals that PP has only submitted CA Certificate but remaining documents as required

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 मई 2023

by SEIAA such as “परियोजना प्रस्तावक की परियोजना अवधि से आवेदन दिनांक तक आयकर रिटर्न्स, बैलेंस शीट परियोजना पर किये गए व्यय की जानकारी मांगी एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा भी किये गए व्यय का शपथपत्र भी लिया जावे ” are not submitted. Thus committee recommends that PP may be asked to submit all documents desired by SEIAA. The consultant has also not responded on SEIAA’s observation “पर्यावरण सलाहकार भी उपरोक्तानुसार प्रकरण में की गई गंभीर त्रुटियों के लिए क्यों न कार्यवाही की जावे तथा प्रकरण नेबिट के ध्यान में लाया जाये के संदर्भ में अपना पक्ष/स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करें”, hence consultant may also be asked to submit their clarification within 10 days for onward necessary action.

In the SEAC meeting 641th dated 03.05.2023 the query reply was presented by PP Shri Arun Agrawal (Partner) M/s. Vrindavan Construction submitted along with their Env. Consultant. During presentation and discussion committee asked PP regarding damages took place during construction phases for which PP was not able to explain satisfactory reply in this context and in addition to this Carbon Foot Print was also not calculated for this project hence, committee after deliberation asked PP to submit following information for further consideration of the project:

- Damage assessment report and accordingly remediation plan.
- Furnish details of CO₂ emission & quantification from different sources and their respective management plan w.r.t. carbon foot print.
- Latest drone image of the site

19. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज—गिट्टी एवं डोलोमाईट, सोप स्टोन, फायर—क्ले खनिज) नरसिंहपुर।

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र०. 744 दिनांक 03/05/23 के माध्यम से दो अलग-अलग पुनरीक्षित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट —नरसिंहपुर (अन्य गौण खनिज गिट्टी एवं डोलोमाईट, सोप स्टोन, फायर—क्ले खनिज) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एवं जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

आज दिनांक 22/02/2023 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री सुनील गुप्ता खनिज निरीक्षक उपस्थित हुए। पुनरीक्षित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का परीक्षण करने पर पाया गया कि :—

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जबलपुर को परीक्षण करने पर यह पाया कि जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अन्य गौण खनिज गिट्टी की खदान वार जानकारी पेज न०. 31—36 में तथा अन्य गौण खनिजों डोलोमाईट, सोप स्टोन, फायर क्ले, की खदान वार जानकारी पेज न०. 31—32 खदान वार जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दे दी गई है। जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2023

किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एवं प्रजातियों की जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अन्य गौण खनिज गिट्टी की जानकारी अंत में टेबल में पेज न0. 69 तथा अन्य गौण खनिजों डोलोमाईट, सोप स्टोन, फायर क्ले के अंत टेबल पेज न0. 56 में दे दी गई है।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला- नरसिंहपुर के पत्र क्र0. 744 दिनांक 03/05/23 के माध्यम से खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, पौधों की संख्या एवं प्रजाति भी प्रस्तुत कर दी गई है। जहां लक्ष्य से कम पौधारोपण हुआ है उसमें, इसी वर्ष वर्षाकाल में पूर्ण रोपण किया जावे। अतः समिति नरसिंहपुर जले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।



(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव



(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 मई 2023

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 मई 2023

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 मई 2023

36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 मई 2023

21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 मई 2023

damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 मई 2023

18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 मई 2023

32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- ‘D’

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 मई 2023

20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 मई 2023

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using “Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्टिविंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।

641वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 मई 2023

- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास प्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास अगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीट
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर